

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :—प.3(3)प्रश्न/फोर्स/2021/15919

दिनांक:—08/12/2021

स्थाई आदेश संख्या— ३३ /२०२१

राज्य सरकान की विज्ञप्ति संख्या एफ.2/डी.ओ.पी./ए-२/८४ दिनांक 14.08.1989 के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के प्रख्यापन होने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 29 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित स्थाई आदेश संख्या—23/91 के अतिक्रमण में हैड कानिस्टेबल (एमटी) से उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (एमटी) के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिए संलग्न पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न:— पाठ्यक्रम

७/१२
(एम.एल. लाठर),
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, आसूबना, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, आर.पी.टी.सी., जोधपुर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर।
9. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी., किशनगढ़।
10. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स।
11. समस्त कमाण्डेंट, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान।


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

योग्यात्मक पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम

एम.टी. संवर्ग
हैड कानिस्टेबल से उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर

मूल्यांकन पद्धति

भाग	विवरण	अंक
A	लिखित परीक्षा	100
B	आऊटडोर : 1. प्रायोगिक परीक्षा 75 अंक 2. परेड एवं आऊटडोर परीक्षा 25 अंक	100
C	रिकार्ड एवं साक्षात्कार	75
	पूर्णांक	275



A. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम :

अंक—100 (समय—3 घण्टे)

क्र.सं.	विवरण
1	ईन्जन की परिभाषा, पार्ट्स के नाम तथा कार्यविधि की जानकारी
2	फोर स्ट्रोक एवं टु स्ट्रोक ईन्जन में अंतर
3	राजस्थान पुलिस में उपयोग लिए जा रहे वाहनों का परिचय
4	वाहन के अच्छा पृयूल औसत प्राप्त करने की जानकारी
5	राजस्थान पुलिस में उपयोग लिए जा रहे सभी वाहनों के सर्विस शेड्यूल की जानकारी
6	नकारा सामान व नकारा वाहनों के निस्तारण की प्रक्रियात्मक जानकारी
7	राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी परिपत्रों की जानकारी
8	न्यू पार्ट्स, टायर ट्यूब व बैटरी के स्टोरेज एवं रखरखाब के बारें में जानकारी
9	ऑटोमोबाईल सुरक्षा के बारें में जानकारी
10	टायर प्रेसर मोनेटरिंग सिस्टम की जानकारी
11	S.C.R. सिस्टम, केटेलेटिक कन्वरटर, ईंटर कूलर एवं E.G.R. वॉल्व की जानकारी
12	एन्टीलोकिंग ब्रेक सिस्टम के बारें में जानकारी
13	C.R.D.I. सिस्टम के बारें में जानकारी
14	व्हील एलायर्नेट एवं बेलेसिंग के लिए वाहन को तैयार करने के बारें में जानकारी
15	<u>चैसिस के टेक्नीकल टर्म्स के बारें में जानकारी :-</u> 1. व्हील बेस 2. व्हील ट्रेक 3. फ्रंट ओवर हैंग 4. रियर ओवर हैंग
16	डीजल एवं पेट्रोल ईन्जन में अंतर
17	विभागीय वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही एवं रिपयेर एस्टीमेट तैयार करने की जानकारी
18	यातायात चिह्न एवं संकेत की जानकारी
19	मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी 1. अनुज्ञा (लाईसेन्स) मो.वा.अ. धाराएँ—3,4,5,15,21,23, 2. पंजीयन धारा—39,52,60,66 3. वाहनों का संधारण—109. 4. यातायात नियंत्रण—112,117 से 122,125, 127 से 134, 136, 140 से 145 तक. 5. बीमा और सुरक्षा धारा—146,149,156,157 6. अपराध एवं दण्ड धारा—180 से 182,184.185 से 190, 196,201,206,207
20	भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304ए, 337 एवं 338

21	लंबे समय तक वाहन को खड़ा रखने पर रखरखाव की जानकारी
22	वाहन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम एवं संसंपेंशन सिस्टम में बारें में जानकारी
23	उप निरीक्षक एमटी के कर्तव्यों के बारें में जानकारी
24	इलेक्ट्रिक वाहन के बारें में जानकारी
25	राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 4, 4ए, 7, 9, 18, 21 एवं 26
26	राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 6 तथा 12 से 19 तक
27.	राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 12 13 14
28.	राजस्थान पुलिस अधिनियम 1948 की वाहनों से संबंधित धाराएं।

B. आऊटडोर :

अंक—100

1. प्रायोगिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :

अंक—75

क्र.सं.	विवरण
1	ब्रेक सेटिंग एवं ब्लीडिंग करना
2	ब्रेक पेंड बदलना
3	हैड लाईट बल्ब एवं फेन बैल्ट बदलने की जानकारी
4	क्लच की फ्री प्ले सैट करना
5	फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर एवं ऑयल बदली करना
6	विद्युत सप्लाई सिस्टम में आए दोषों का निवारण करना
7	फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आए दोषों का निवारण करना
8	वाहन में लगने वाले सभी पार्ट्स की पहचान करना तथा उनकी कार्यप्रणाली

2. परेड एवं आऊटडोर परीक्षा :

अंक—25

क्र.सं.	विवरण		
	<u>स्कावड छिल :</u>		
1	<u>स्कावड छिल :</u> अंक 1. व्यक्तिगत प्रदर्शन 2. प्रशिक्षक क्षमता	5	5
2	<u>सायफल अभ्यास :</u> अंक 1. व्यक्तिगत प्रदर्शन	5	5

	2. प्रशिक्षक क्षमता	5
	<u>पी.टी. :</u>	
3	अंक	
	1. व्यक्तिगत प्रदर्शन	2½
	2. प्रशिक्षक क्षमता	2½

C. रिकार्ड एवं साक्षात्कार :

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	<p>पी.ए.आर/ कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (पिछले 5 वर्षों की गणना से गुणन) :</p> <p>(क) उत्कृष्ट 04 अंक (ख) बहुत अच्छा 03 अंक (ग) अच्छा 02 अंक (घ) संतोषजनक 01 अंक (ङ) असंतोषजनक शून्य</p> <p>नोट :— यदि पिछले पांच वर्ष में किसी वर्ष की पी.ए.आर. उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त पांच वर्ष के ठीक पूर्व वर्ष की पी.ए.आर. को शामिल किया जाए।</p>	20
2	<p>पुरस्कार एवं सजाएँ :</p> <p>(क) पुरस्कार :— अधिकतम 20 अंक</p> <p>(I) राष्ट्रपति पुलिस पदक (पी.पी.एम.) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए— 10 अंक (II) पी.पी.एम.(बार) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए— 10 अंक (III) पुलिस पदक (पी.एम) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए— 09 अंक (IV) पी.एम. (बार) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए— 09 अंक (V) राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा के लिए— 08 अंक (VI) पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए— 07 अंक (VII) असाधारण कार्य पुरस्कार— 06 अंक (VIII) महानिदेशक पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र— 04 अंक (IX) सर्वोत्तम सेवा चिन्ह— 05 अंक (X) अति उत्तम सेवा चिन्ह— 04 अंक (XI) उत्तम सेवा चिन्ह— 03 अंक (XII) नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्र :</p>	35

	<p>(A) सरकार/महानिदेशक पुलिस 04 अंक (B) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस 03 अंक (C) उप महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट— 02 अंक</p> <p>(XIII) नकद पुरस्कार के बिना प्रशस्ति प्रमाण पत्र/ प्रशंसा पत्र (A) सरकार/महानिदेशक पुलिस 02 अंक (B) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस 1½ अंक (C) उप महानिरीक्षक पुलिस/ पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट</p> <p>(ख) सजाएँ :— अधिकतम 15 अंक</p>	
	विभागीय कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के दण्ड के लिए अंकों की कटौती निम्न लिखित प्रकार से होगी (प्रत्येक दण्डादेश हेतु) :—	
	<p>(I) परिनिंदा 01 अंक (II) ग्रेड वेतन वृद्धि रोक (भविष्य प्रभाव के बिना) 03 अंक (III) वृहद सजाएँ 07 अंक</p>	
	नोट:— पुरस्कार और दंड के लिए आवंटित 35 अंकों में से 20 पुरस्कार के लिए और 15 अंक सजाओं के लिए निर्धारित किये गये हैं। पुरस्कार की अच्छी प्रविष्टियों के लिए 20 अंक अधिकतम दिये जाएंगे। पुरस्कार के अंकों की गणना 0 से 20 अंकों के आधार पर होगी। सजाओं के अंकों की गणना 15 से 0 अंकों के आधार पर होगी। यदि किसी उम्मीदवार के रिकॉर्ड पर कोई सजा नहीं है तो वह 15 अंक प्राप्त करेगा। प्रत्येक सजा की प्रविष्टि पर उसके कुल 15 अंकों में से कटौती होगी। रिवार्ड के कुल 20 अंकों में से प्राप्त किये गये अंक तथा सजाओं के कुल 15 अंकों में से शेष रहे अंकों का जोड़ उस उम्मीदवार के इस मद में कुल प्राप्तांक होंगे। सजाओं के अन्तर्गत अधिकतम 15 अंक तथा न्यूनतम 0 अंक मिलेंगे।	
3	शिक्षा : अधिकतम 04 अंक <p>(क) डिप्लोमा (अवधि कम से कम एक वर्ष) 02 अंक (ख) स्नातक 03 अंक (ग) स्नातकोत्तर 04 अंक</p>	04
4	प्रशिक्षण : अधिकतम 06 अंक <p>(क) विशेष प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक सप्ताह हो (प्रत्येक प्रशिक्षण</p>	

	<p>के लिए कम से कम पाँच दिवस) 01 अंक</p> <p>(ख) विशेष प्रशिक्षण जिसकी अवधि कम से कम दो सप्ताह या उससे अधिक हो (प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए) 02 अंक</p> <p>(ग) पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया हो। 03 अंक</p> <p>(स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक कार्यकाल लगातार 3 वर्ष के पदस्थापन का होगा। प्रत्येक कार्यकाल के लिए अंक दिये जायेंगे। दो कार्यकाल के मध्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार 3 वर्ष का अन्तराल (Cooling off) आवश्यक होगा)</p> <p>नोट :— प्रशिक्षण हैड कानि. पद के दौरान अर्जित करने पर ही उपरोक्त लाभ देय होगा</p>	06
5	<p>साक्षात्कार :</p> <p>(क) व्यक्तित्व</p> <p>(ख) एप्टीट्यूड</p> <p>(ग) नेतृत्व के गुण</p> <p>(घ) सामान्य ज्ञान (जनरल अवेयरनेस)</p> <p>(ङ) सम्प्रेषण क्षमता</p>	 10